



## कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4869


भिलाई, दिनांक 16.06.23

### // आदेश //

छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त, न.पा.नि. भिलाई को निम्नांकित कार्य के भुगतान हेतु आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाता है :-

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान नियमानुसार करना।
2. कर्मचारी पेंशन अंशदान का भुगतान नियमानुसार करना।
3. निगम परिसम्पत्तियों के रख-रखाव सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड की नस्ती में स्वीकृति उपरांत भुगतान करना।
4. न्यायालयीन प्रकरणों में अधिवक्ता शुल्क की अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरांत भुगतान करना।
5. कर्मचारी/अधिकारी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान नियमानुसार करना।
6. बेरोजगारी भत्ता के प्रकरणों में नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
(रोहित व्यास)  
भा.प्र.से.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2022-23/4870  
प्रतिलिपि:-

भिलाई, दिनांक 16.06.23

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II/III, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्यूटर/भवन संधारण/परियोजना शाखा, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. संबंधित विभाग प्रमुख .....  
नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई